

भारत सरकार  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

लोक सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या 285\*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को राजसहायता जारी करना**

**285\* श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:**

**डॉ. सी. एम. रमेश:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उर्वरक कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अंतर्गत पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार-प्रमाणीकृत बिक्री के आधार पर उर्वरक राजसहायता जारी की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को देशभर में किसानों और उर्वरक खुदरा विक्रेताओं से आधार प्रमाणीकरण संबंधी विफलता, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, बायोमीट्रिक मिलान नहीं हो पाने, काशतदार किसानों को शामिल नहीं किए जाने, किफायती उर्वरकों की आपूर्ति में विलंब अथवा राजसहायता के निपटान के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त राज्यों सहित देशभर में किफायती उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, उनके विपथन में कमी और राजसहायता के वितरण में पारदर्शिता के संबंध में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को वर्ष-वार कुल कितनी उर्वरक राजसहायता संवितरित की गई है और कितनी मात्रा में किफायती उर्वरकों की आपूर्ति की गई है; और
- (ङ.) वास्तविक रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों के लिए उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र उपलब्ध कराने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री  
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को राजसहायता जारी करना’ के संबंध में श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील तथा डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.285\* के उत्तर में उल्लिखित विवरण:**

(क): जी हां, ‘उर्वरकों में डीबीटी प्रणाली’ के तहत, उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100 प्रतिशत सब्सिडी जारी की जाती है। सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 तक के दौरान संवितरित कुल उर्वरक सब्सिडी का विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख): उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत, सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों की बिक्री आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थी अर्थात् किसान के आधार आधारित सत्यापन से की जाती है। उर्वरकों में डीबीटी के तहत, बिक्री बिना किसी मनाही के आधार पर की जाती है, अर्थात् काश्तकार सहित सभी पात्र किसानों को सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों का लाभ मिलता है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।
- ii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।
- iii. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को काफी पहले अंतिम रूप दे दिया जाता है ताकि देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे मांगपत्रों को समय पर भेजकर आपूर्तियों को सुचारू बनाने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

- v. राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।
- vi. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उर्वरक कंपनियां पीओएस द्वारा रिकॉर्ड की गई बिक्री के आधार पर साप्ताहिक सब्सिडी दावे सृजित/प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें प्रभावी निगरानी, समय पर निपटान और कुशल निधि प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, दावों की पूर्णता के अध्यधीन फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (एफआईएफओ) के आधार पर कालानुक्रमिक तरीके से कार्यवाही की जाती है।

(ग): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत लाभार्थियों अर्थात किसानों की पहचान के लिए है। उर्वरक विभाग की विभिन्न सब्सिडी स्कीमों के तहत व्यक्तिगत उर्वरक कंपनियों को देय सब्सिडी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से संवितरित की जाती है। सभी उर्वरक बिक्री लेनदेनों को रियल टाइम के आधार पर एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) प्रणाली में ऑनलाइन कैप्चर किया जाता है। इन दावों पर साप्ताहिक आधार पर कार्यवाही की जाती है, और सब्सिडी की राशि को पीओएस मशीनों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंपनी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। विभाग में विधिवत रूप से पूर्ण किए गए बिलों की प्राप्ति के क्रमानुसार बिलों का भुगतान "फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (एफआईएफओ)" सिद्धांत पर किया जाता है।

इसके अलावा, किसानों के बीच समान वितरण सुनिश्चित करने और सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के विपथन को रोकने के लिए, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर उर्वरकों के समान वितरण के लिए प्रति खरीदार प्रति माह 50 बोरी की मासिक सीमा निर्धारित की गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर के लिए प्रति खरीदार प्रति मौसम 60 बोरी की मासिक सीमा निर्धारित की गई है। खरीद के आधार पर, संबंधित राज्य अधिकारियों द्वारा निगरानी के लिए आईएफएमएस डैशबोर्ड में विभिन्न रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, 05.08.2026 तक 22 राज्यों के 56 चिन्हित जिलों में शुरू की गई 'उर्वरक बिक्री की रूपरेखा' के तहत, उर्वरक को भूमि क्षेत्र और बोई गई फसल के आधार पर सामान्य उर्वरक सिफारिश (जीएफआर) के अनुसार पहचान किए गए किसान को बेचा जा रहा है। 'उर्वरक बिक्री की रूपरेखा' के तहत प्रायोगिक जिलों में बोरियों की उच्चतम सीमा अलग-अलग है, जिसे संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किया गया है।

(घ): उर्वरक कंपनियों को प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर सब्सिडी जारी की जाती है। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य के किसानों सहित सभी किसानों को बिना किसी मनाही आधार पर सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य को आपूर्ति की गई सब्सिडी प्राप्त उर्वरक यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीकेएस हैं। आपूर्ति की गई मात्रा को **अनुलग्नक-II** पर देखा जा सकता है।

(ङ.): उर्वरक की निर्बाध उपलब्धता और इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) देश भर में उर्वरक के संचलन की रियल टाइम निगरानी और प्रबंधन के लिए विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली के तहत, उर्वरक प्रेषण, आवंटन, रिक प्लेसमेंट, स्टॉक की स्थिति और राज्यवार आपूर्ति की स्थिति की रियल टाइम निगरानी संबंधित राज्यों और हितधारकों द्वारा की जाती है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 में डीबीटी प्रणाली के तहत वैकल्पिक आधार आधारित प्रमाणीकरण का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-1**

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.285\* के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

| (आंकड़े करोड़ रुपये में)         |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| पोषकतत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) | 2023-24            | 2024-25            | 2025-26            |
| (क) स्वदेशी पीएण्डके             | 36,270.00          | 34,010.00          | 41,000.00          |
| (ख) आयातित पीएण्डके              | 28,929.57          | 18,800.00          | 33,999.99          |
| <b>कुल एनबीएस</b>                | <b>65,199.57</b>   | <b>52,810.00</b>   | <b>74,999.99</b>   |
| <b>यूरिया सब्सिडी</b>            |                    |                    |                    |
| (क) स्वदेशी यूरिया               | 1,02,027.00        | 1,03,319.50        | 94,219.50          |
| (ख) यूरिया का आयात               | 28,193.94          | 21,000.00          | 47,956.24          |
| <b>कुल यूरिया सब्सिडी</b>        | <b>1,30,220.94</b> | <b>1,24,319.50</b> | <b>1,42,175.74</b> |
| <b>कुल सब्सिडी (सकल)</b>         | <b>1,95,420.51</b> | <b>1,77,129.50</b> | <b>2,17,175.73</b> |

**अनुलग्नक- II**

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.285\* के उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है।

| (आंकड़े एलएमटी में) |        |       |       |          |
|---------------------|--------|-------|-------|----------|
| महाराष्ट्र          | यूरिया | डीएपी | एमओपी | एनपीकेएस |
| 2023-24             | 31.06  | 8.93  | 2.18  | 34.08    |
| 2024-25             | 32.72  | 7.13  | 3.45  | 37.86    |
| 2025-26             | 32.37  | 8.06  | 3.37  | 41.95    |